भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2986
दिनांक 10 मार्च, 2026 / 19 फाल्गुन, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

महिलाओं के विरुद्ध अपराध

2986. श्री सतीश कुमार गौतमः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों पर होने वाले अपराधों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई को प्राथमिकता दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार ने नई न्याय प्रणाली में प्रौद्योगिकी के उपयोग में परिवर्तन के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री बंडी संजय कुमार)

(क): भारतीय न्याय संहिता, 2023 में महिलाओं तथा बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों से संबंधित प्रावधानों को प्राथमिकता दी गई है और उन्हें एक अध्याय के अंतर्गत रखा गया है। महिलाओं के प्रति अपराधों के लिए मृत्युदंड तक के कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। 18 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए दोषी के प्राकृतिक जीवनकाल अथवा मृत्यु तक के आजीवन कारावास के दंड का प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 में विवाह, रोजगार, पदोन्नति आदि के झूठे वादे करके अथवा पहचान छिपाकर यौन संबंध बनाने, आदि के लिए एक नया अपराध भी शामिल किया गया है। नए आपराधिक कानूनों में महिला सुरक्षा से संबंधित मुख्य प्रावधान अनुलग्नक में दिए गए हैं।

(ख): न्यायिक प्रक्रिया की गति, दक्षता और पारदर्शिता में उल्लेखनीय सुधार करने के लिए नए आपराधिक कानूनों में ये प्रावधान किए गए हैं कि समन और वारंट जारी करना, इसे पहुंचाना और इनका कार्यान्वयन, शिकायतकर्ताओं और गवाहों की जांच, पूछताछ में साक्ष्य की रिकार्डिंग और विचारण तथा अपीलों की सुनवाई अथवा किसी अन्य कार्यवाही समेत समस्त विचारण, पूछताछ और कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक संचार अथवा ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से इलेक्ट्रॉनिक रूप से की जाएगी। इस संबंध में सरकार ने ई-

समन, ई-साक्ष्य और न्याय-श्रुति (वीसी) जैसे एप्लीकेशन भी विकसित किए हैं। ई-समन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से समन की डिलीवरी की सुविधा प्रदान करता है। ई-साक्ष्य डिजिटल साक्ष्यों के वैध, वैज्ञानिक और छेड़छाड़-रहित संग्रह, संरक्षण तथा इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुति को सक्षम बनाता है, जिससे प्रामाणिकता सुनिश्चित होती है और कम देरी होती है। न्याय-श्रुति (वीसी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभियुक्तों, गवाहों, पुलिस अधिकारियों, अभियोजकों, वैज्ञानिक विशेषज्ञों, कैदियों आदि की आभासी (वर्चुअल) उपस्थिति की सुविधा प्रदान करती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इन एप्लीकेशनों के माध्यम से नए आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन न्यायिक प्रक्रिया की गति, दक्षता और पारदर्शिता में सुधार करने में योगदान करता है, जिससे अधिक प्रभावी, प्रौद्योगिकी-संचालित, समय पर तथा नागरिक-अनुकूल न्याय प्रदायगी प्रणाली में सहायता मिलती है।

******

लोक सभा अता. प्र. सं. 2986, दिनांक 10.03.2026

अनुलग्नक

महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा संबंधी प्रावधान

i. भारतीय न्याय संहिता, 2023 के नये अध्याय–V में महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों को अन्य सभी अपराधों से अधिक प्राथमिकता दी गई है।

ii. भारतीय न्याय संहिता में, सामूहिक बलात्कार के अवयस्क पीड़ितों के लिए उम्र संबंधी अंतर को हटा दिया गया है। इससे पूर्व, 16 वर्ष और 12 वर्ष से कम आयु वर्ग की लड़की के सामूहिक बलात्कार के लिए अलग-अलग सजा का निर्धारण किया गया था। इस प्रावधान में संशोधन किया गया है और अब अठारह वर्ष से कम आयु की किसी महिला के सामूहिक बलात्कार के लिए आजीवन कारावास अथवा मृत्युदंड की सजा का प्रावधान है।

iii. महिलाओं को परिवार के एक वयस्क सदस्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, जो उस व्यक्ति के स्थान पर समन प्राप्त कर सकती है। 'किसी वयस्क पुरुष सदस्य' से संबंधित पूर्ववर्ती संदर्भ को बदलकर 'किसी वयस्क सदस्य' कर दिया गया है।

iv. पीड़ित को अधिक सुरक्षा प्रदान करने और बलात्कार के किसी अपराध की जांच में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, पीड़ित के बयान को पुलिस द्वारा ऑडियो-वीडियो साधनों के माध्यम से रिकॉर्ड किया जाएगा।

v. महिलाओं के प्रति कुछ विशिष्ट अपराधों के मामले में, पीड़ित का बयान, जहां तक संभव हो, महिला मजिस्ट्रेट द्वारा तथा उसके अनुपस्थित होने की स्थिति में एक महिला की उपस्थिति में पुरुष मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए, ताकि संवेदनशीलता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके तथा पीड़ितों के लिए सहायक वातावरण बनाया जा सके।

vi. चिकित्सकों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे बलात्कार के किसी पीड़ित की मेडिकल रिपोर्ट 7 दिन के भीतर जांच अधिकारी को सौंपेंगे।

vii. यह प्रावधान किया गया है कि पंद्रह वर्ष से कम या 60 वर्ष (पूर्व में 65 वर्ष) से अधिक आयु के किसी पुरुष या किसी महिला या मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति या गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति के लिए उस स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी जहां ऐसा पुरुष अथवा महिला रहती है। उन मामलों में जहां ऐसा व्यक्ति पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने के लिए राजी हो, तो उसे ऐसा करने की अनुमति प्रदान की जाएगी ।

viii. नए कानून सभी अस्पतालों में महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध के पीड़ितों को निःशुल्क प्राथमिक उपचार या चिकित्सा उपचार प्रदान करते हैं। यह प्रावधान चुनौतीपूर्ण समय के दौरान पीड़ितों के स्वास्थ्य और रिकवरी को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक चिकित्सा देखभाल तक तत्काल पहुंच सुनिश्चित करता है।

ix. किसी अपराध के लिए बच्चों को मजदूरी देकर रखने, इस्तेमाल करने अथवा उन्हें काम पर लगाने को, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 95 के तहत दंडनीय अपराध माना गया है, जिसके लिए न्यूनतम सात वर्ष के कारावास की सजा का प्रावधान है, जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इस प्रावधान का उद्देश्य गिरोहों या समूहों को अपराध करने के लिए बच्चों को इस्तेमाल करने/मजदूरी देकर रखने से रोकना है।

******